कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ—5 / 1118 / 2022 / 10—11 / 1/6 \(\S \) भोपाल, दिनांक ।। ७। 2.3

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति.

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003

विषय:— रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गोहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.—881, पी.एफ.—882 एवं आर.एफ.—315 एवं आर.एफ.—316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 8-04/2022-FC दिनांक 09.11.2022

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की सशर्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval: The State Govt. shall submit the documentary' वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष evidence/certificate indicating the extent of Nistar 2022 के अनुसार ग्राम नीलगढ में चराई हेतु वन /community rights; कक्ष क्रमांक आर.एफ.४६७ का वन क्षेत्र 359.174 हे0 चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वनमंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरांत कुल 289.731 हे0 वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल 72.481 हे0 एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 359.174 हे0 में 217.25 हे0 क्षेत्र शामिल वनग्राम् नीलगढ़ के रातापानी अभयारण्य से विस्थापन / पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882, आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 की प्रस्तावित 55.00 हे0 वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र क्रमांक ४०८४ दिनांक २२.12. 22 **परिशिष्ट 2** पर संलग्न है। वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास उपरान्त परिक्षेत्र बिनेका के कक्ष क्रमांक आर.एफ.482, आर. एफ.465, आर.एफ.466, एवं आर.एफ.467 की 289. 731 हे0 रिक्त वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र क्रमांक ४००९ दिनांक 15.12.22 परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

ii	The District Collector concerned shall furnish certificate of non-availability of suitable non forest land for relocation of Village Neelgarh;	- /2245/17—भू—अभि./वर्कलोड/2021 दिनांक 09.12.21 से जारी किया गया, वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नही होने
iii	The correct and complete kml file of the area	का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।
	proposed for diversion shall be and a late	The state of the s
	proposed for diversion shall be uploaded on	1
	the e-green watch portal with all requisite details;	है। जिसका I.D. नम्बर 50807 है।
iv	The compliance report shall be uploaded on e-	
	portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ई—पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B:	otate i of est Bepartment but the compliance in form	her handing over of forest land to the user agency by the n of undertaking shall be submitted and compliance is to
i	or such itted prior to Btage-II approval.	
	Legal status of the diverted forest land may	1 111111 4111 94.9.41.1(11.7)
	be changed to non-forest land by the state in	202 / 95 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2019
	accordance with Hon'ble Supreme Court	को अपने प
	order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	2015 in WP(C) 202/1995 and Ministry's	ने ना कि ना कि ना कि ती है ।
	Guidelines dated 20.5.2019;	होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।
ii	The area to be vacated shall be mutated in the	वनग्राम नीलगढ के विस्थापन उपरान्त रिक्त क्षेत्र
	name of Forest Department and notified as	पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं0 3
	RF/PF under relevant sections of the Indian	Raise 10 1 1010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	Forest Act, 1927, or the State Forest Act as	दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित वन के रूप
	the case may be;	में घोषित है। वनग्राम नीलगढ का क्षेत्रफल
		जैतपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की
		प्रति परिशिष्ठ 5 पर संलग्न है। रातापानी
		अभयारण्य की प्रबंध योजना वर्ष 2008–09 से
		2017–18 तथा इसकी अवधि में मार्च 2023 तक
		वृद्धि की गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में
	a a	उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर
		संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने
		से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप में
		रा र्य रूप रा हा आराबात वन क रूप म
		अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की
iii	The Control	आवश्यकता नहीं है।
111	The State Government shall ensure that the land	शर्त का पालन किया जावेगा।
	vacated in the protected area due to relocation of	
	Village will be developed as per approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;	
iv	The State Government shall ensure that the	
	relocation package is implemented with due	शर्त का पालन किया जावेगा।
	regard to specific court orders and Government	
	norms in this regard;	
V	The State Government shall ensure that no	शर्त का पालन किया जावेगा।
	fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	
vi	TI C C	mf 0
	of relocation shall be provided to the NTCA for	शर्त का पालन किया जावेगा।
	onward legal action/compliance in IA No.3924 of	
	2015 in WP(C) 202/1995;	
vii	No labour camp Shall be established on the forest	शर्त का पालन किया जावेगा।
	land and the user Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the	
	staff working at the site so as to avoid any damage	
	and pressure on the nearby forest areas;	
	,	

	-3-	*
viii	The State Government shall ensure that as far a possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government/ public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	षड्कों के किनारे/स्कूल/ प्रस्तावित ग्राम के
ix	The user agency shall export the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be filled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the state Forest Department;	काटा जावेशा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल
X	The User Agency shall obtain the Environment clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	WWW Pr Well 14741 Olld-III
xi	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned divisional Forest Officer.	
xiii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xiv	The user agency Shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the state government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	शर्त का पालन किया जावेगा।
XV	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvi	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court order (s) and NGT order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvii	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of forest (Conservation) Act, 1980 as issue by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त का पालन किया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तीं का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय <u>प्र</u> ।।|०।|२०८५ (सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 🕹 🖊 🔰 23

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1118 / 2022 / 10-11 / 1/66 प्रतिलिपि:--

- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
- 3. अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, औबेदुल्लागंज वन मण्डल मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 22 /

औ.गंज / दिनांक,

प्रति,

वन संरक्षक

वन वृत्त भोपाल

विषय:

रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर. एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

संदर्भ :

- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 8-04 / 2022-एफ.सी. दिनांक 09.11.22
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म०प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/ 1118/2022/10-11/3775 दिनांक 10.11.22
- 3. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6460 दिनांक 22.11.22

---00---

निवेदन है कि, रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग किये जाने के प्रकरण में प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.11.22 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज के द्वारा पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 22.12.22 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई सैद्धांतिक अनुमित में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु आवेदक अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज द्वारा प्रेषित शर्तवार वचन पत्र/अंडर टेकिंग प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :-

उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी. सा. वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 22 / 🧷 प्रतिलिपि :-

औ.गंज / दिनांक, 🎺 - 🔿 🏻 - २३

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र०भोपाल की ओर अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज से प्राप्त प्रतिवेदन सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। संलग्न-उपरोक्तान्सार

अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु 3. प्रेषित है।

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)

मध्यप्रदेश, भोणल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

F:/New Ofs Letter 2022 doc

मध्यप्रदेश, भोपाल

सा. वनमंडल औ गंज

कार्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज

Mobile No- 9424790712, E-Mail: sdoratapani@mpforest.org

क्रमाक / प्रति.

2607

औ.गज / दिनाक /

22.12.2022

वनमंडलाधिकारी

सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

विषय:

रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

संदर्भ :

आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6563 दिनांक 16.11.22 एवं प्रधान मुख्य संरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ्—5 / 1118 / 2022 / 10—11 / 3774 दिनांक 10.11.22 तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8—04 / 2022—एफ.सी. दिनांक 09.11.22

---00---

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संदर्भित पत्र से रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में प्रथमचरण की सर्शत स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :—

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

The State Govt. shall submit the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar/community rights;

वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के अनुसार ग्राम नीलगढ में चराई हेतु वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.467 का वन क्षेत्र 359.174 हे0 चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के पृ.क्रमांक 65 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

वनमंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरांत कुल 289.731 है0 वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल 72.481 है0 एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 359.174 हे0 में 217.25 है0 क्षेत्र शामिल है।

वनग्राम नीलगढ़ के रातापानी अभयारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 881, पी.एफ.882, आर.एफ.315 एवं आर.एफ. 316 की प्रस्तावित 55.00 है0 वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.

स्तर के अशिक्षिति रच वन मण्डलाजिलाकी, कोचेबुल्लावंज,

		T
		ए.प्रमाण पत्र क्रमांक ४०८४ दिनांक २२.१२.२२
		परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।
		वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास
		उपरान्त परिक्षेत्र बिनेका के कक्ष क्रमांक
		आर.एफ.482, आर.एफ.465, आर.एफ.466,
		एवं आर.एफ.467 की 289.731 हे0 रिक्त
		वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा
		जारी एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र क्रमांक ४००७
<u></u>		दिनांक 15.12.22 परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।
ii	The district collector shelf finished a	कलेक्टर जिला रायसेन के द्वारा पत्र क्रमांक
	certificate of non-availability of suitable non	/ 2245 / 17—भू—अभि. / वर्कलोड / 2021
	forest land for the location of village	दिनांक 09.12.21 से जारी किया गया,
	neelgarh;	वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन हेतु गैर
		वनभूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र
		परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।
iii	The correct and complete kml file of the area	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के.एम.
	proposed for diversion shall be uploaded on	
	the e-green watch portal with all requisite	एल.फाइल ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड
	details;	की गई है।
iv	The compliance report shall be uploaded on	पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर
	e-portal (https://parivesh.nic.in/).	(https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की
		गई है।
-		
B:	Conditions which need to be complied on field	
	agency by the state Forest Department but the submitted and compliance is to be submitted pr	
i	Legal status of the diverted forest land may	
	be changed to non-forest land by the state in	
	accordance with Hon'ble Supreme Court	(सी.) 202 / 95 में पारित आदेश दिनांक 28.
	order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of	1.2019 को आई.ए. नं० 3924 और मंत्रालय
	2015 in WP(C) and Ministry's Guidelines	के दिशा–निर्देश दिनांक 20.5.19 के अनुसार
	dated 20.5.2019;	डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि
		में बदला जावेगा।
ii	The area to be vacated shall be mutated in the	वनग्राम नीलगढ के विस्थापन उपरान्त रिक्त
	name of forest department and notified as	क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन
	RF/PF under relevant sections of the Indian	नं0 3 दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित
	forest Act, 1927, or the State forest Act as the	वन के रूप में घोषित है। वनग्राम नीलगढ
	case may be;	
		का क्षेत्रफल जैतपूर फॉरेस्ट ब्लॉक में
		शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ठ 5 पर
	and the same of the same of the same	संलग्न है। रातापानी अभयारण्य की प्रबंध
	सन्य प्राचीमि	योजना वर्ष 2008-09 से 2017-18 तथा
	03 4 44 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	
	A.	इसकी अवधी में मार्च 2023 तक वृधी की
	4	
	म्य वन मण्डका विकासी,	गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में
	4	गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर
	म्य वन मण्डका विकासी,	गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र
	म्य वन मण्डका विकासी,	गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप
	म्य वन मण्डका विकासी,	गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र

// *			
	iii	The State government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of village will be developed as per approval wildlife management plant/NTCA guideline;	
	iv	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in the regard;	
	V	The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
	vi	The State Government shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action/compliance in IA No.3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	शर्त का पालन किया जावेगा।
	vii	No labour camp Shall be established on the forest land and the user Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area;	शर्त का पालन किया जावेगा।
	viii	The State Government shall ensure that as far as possible naturally growing trees are	प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे/स्कूल/ प्रस्तावित
		retained along the roads, in the school, other Government/public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	ग्राम के बाऊंड़ी के आसपास / आवासीय क्षेत्र के आसपास / अन्य सरकारी एवं सार्वजानिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खडे फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा।
	ix	The user agency shall export the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be filled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the state Forest Department;	व्यपवर्तित वनभूमि में खडे फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा किया जाता है।
	X	The user agency shall obtained the environment clearance as per the provisions of the environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त का पालन किया जावेगा।
	xi	The forest land shall not be used for any propose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
	xii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned divisional forest officer.	शर्त का पालन किया जावेगा।
	xiii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
ura ulafa	74/47	The user agency Shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the state government,	शर्त का पालन किया जावेगा।

न्य वन मण्डला विकासी, कोंबेद्रस्थासंख;

	concerned regional office and to this ministry	
	by the end of March every year;	
XV	Any other condition that the concerned	शर्त का पालन किया जावेगा।
	regional office of this ministry may stipulate	
	with the approval of competent authority in	
	the interest of conservation protection and	
	development of forest and wildlife;	
xvi	The user agency shall comply all the	शर्त का पालन किया जावेगा।
	provisions of the all Acts, Rules, Regulations,	
	Guidelines, Hon'ble Court order (s) and NGT	
	order (s) pertaining to this protect, if any, for	
	the time being in force, as applicable to the	
	project;	
xvii	Violation of any of these conditions will	शर्त का पालन किया जावेगा।
	amount to violation of forest (Conservation)	विव का नायन जिल्ला विवस
	Act, 1980 and action would be taken as	
	prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the	
	handbook of comprehensive guidelines of	
	forest (Conservation) Act, 1980 as issue by	
•	this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated	
	218.3.2019.	
and the same of the same of the	MIV.J.MVIJ.	

भारत शासन द्वारा ग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास हेतु संदर्भित पत्र से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

संलग्न :-

उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट 1 से 06

सरव प्रश्वितिष

रप वन मण्डका विकासी, कोवेद्रम्खानंत्र; अधीक्षक

रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औषदुल्लागंज



चराई के लिए खुला अभ्यारण क्षेत्र (सामान्य) वन मंडल औ.गंज

अ. क्र.	परिक्षेत्र व नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकवा (हे.)
1	2	3	4	5
01	बिनेका	बिनेका, जैत	RF - 438	465.900
02	"	लुलका	RF - 439	592.400
03	"	बोरखाड़ी, डामडोंगरी, बम्होरी	PF - 441	273.405
04		मगरधा	RF - 443	514.350
05	"	घाट खमरिया, सिवनी, खपरिया खापा सुल्तानपुर जोड़	PF - 729	105.525
06	н	रमपुरा, मण्डवा	PF - 726	164.025
07	"	बगासपुर, सतधारा, पिपलिया कीर, पिपरिया खुर्द, काजीहाऊस, चित्तौड़ा	RF - 446	469.000
08	"	सेमरी, सिलारी	RF - 450	398.475
0,9	"	जैतपुर	RF - 462	257.675
10	"	साजौली	RF - 471	313.049
11	"	नीलगढ़, घोड़ा पछाड़, डुंगरिया, चकावाली	RF - 467	356.13
12		धुनवानी, केमवाली, केवलाझिर, मालझिर पाटनी, झिरपई, कोलापठार, पीपलवानी	RF - 486	319.174
13		दांत खो	RF - 477	359.174
			योग	4588.282
01	बाड़ी	बाड़ी, बजीरगंज, पनागर, कमका दिमाड़िया, पारतलाई, घोट एवं नयागांव	PF - 719	18.000
02	"	पपलई, पांजरा, उदयगिरी, गुलबाड़ा		15.000
		महका, बिनेका, खमरिया, रिमसिली एवं करमवाड़ा	PF - 715	
		कत्य प्रकितिवि	योग	33.000

न्य यन मण्डलाश्चिकाश्ची, बोबेब्रुस्काशंख,

वन सम्पदा की रक्षा कीजिए

418/2/02

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
District Level forest Right committee Dist. Raisen (M.P.)

	1.	. 5	1.						
No	$\mathcal{L}_{\mathcal{I}}$	Q.Q	4	 	275	in an	30	20	

Date 22/12/2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter number 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 where in the (MoEF) Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of right under the Schedule Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 55.00 hact, of forest land proposed to be diverted in compartment No PF 881, PF 882, RF 315 and RF 316 in favour of forest Department for Rehabilitation of forest village Neelgarh in Raisen District falls within jurisdiction of Amoda Village in Goharganj tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 55.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee(s) Gram (Sabha)(s) are enclosed as annexure-1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalites/processes under the FRA have been carried our, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion, A Copy of certificate issued by the gram sabha of Amoda villages is enclosed as annexure-1 as above.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As Above

सत्य भावानाय

नव वन मण्डला विकासी, योगे दुल्लामंख

Arvind Dube Collector

413102 3

FORM-II

No. 4509.

Date:-15/12/2022

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act,2006 (FRA', for short) in the forest Villages, Neelgarh in Ratapani Wildlife sanctuary of Forest Divison (T) Obaidullaganj, for 289.731 Ha.of forest land (comp,no.RF 482, comp.no.RF 465 part, comp.no.RF 466 part and comp.no.RF 467 part 467 part) for Voluntary village Relocation. It is further certified that,

(a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 289.731 hactares of forest area,

proposed for village relocation.

(b) The proposal for village relocation(with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s),has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out, and that they have given their consent to the proposed relocation and the compensation and measures.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.


(e) The village Relocation process by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The forest villages, neelgarh shall be voluntary relocated and all the rights shal be settled as per the voluntary village relocation policy of the NTCA an Government of Madhya Pradesh.

तत्य पविविधि

ाव यम **पण्डला विद्यार्थ** कोचेतुल्लावं**द** (Arvind Dubey)
Collector

Raisen



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन (म.प्र.)

2 - 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

क्रमांक/ 2245 /17-भू-अभि./वर्कलोड/2021

रायसेन दिनांक 🖰 /12/2021

प्रति,

र्यनमंड़लाधिकारी सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः- आपका पत्र कमांक /मा.चि./21/4024/औ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है।

आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलें में 200 हेक्टर इकजाई कृषि योग्य राजस्व भूमि

-197min

उपलब्ध नहीं है।

व्यक्तिम्दर जिला रायसेन (म.प्र.)

file from the same of the same

Page 522

4

स्तृत्व विकास वाचियेष्ट्र भाष्ट्रमा स्वाद्ध भाष्ट्रमाद स्वास भाष्ट्रमाद्द्रभा pinicipin possi A service er ec prospére

। गारि क्यां है 3191 सु फिल्म स्पृष्ट मास्त्र स्पृष्ट

1 Pring

छत्र छाएरिन छष्टाएरी वीहर मिस्र छर्मछ एएडी हि छिच्छन

। तिरीक किए काछ कुछन किएएए। हाछाई वीदी ई

एरप्रथा कि 103 अ10141 OF | अर्गान ठडाकरी साथ स्ट्राइ डड एक म्ह्रुयन

ी है है है है है है है जिस है है है जिस है

विक्रिप में विभिन्निकित विक्रित है किस

5-70181711

परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं के आंकड़े

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	परिवार	जनसंख्या	पशु	ग्राम का
101011	711417	м.	MILL MALL HILL	संख्या	31 131041	नं <u>पु</u> संख्या	क्षेत्रफल
रायसेन	बरखेड़ा	1	बरखेड़ा	34	1606	7527	117.842
		2	बीरदा	52	258	310	159.631
		3	बिनेका(बोरदा)	168	839	273	187.789
		4	पिपलानी कला	77	385	247	1256.587
		5	भूतपलासी	55	273	174	618.493
		6	नासीपुर	54	271	262	149.943
		7	गौतमपुर कालोनी	606	2020	205	200 202
		8	गौतमपुर जौंदरा	606	3030	395	309.303
		9	करमोदा	280	1400	202	1155.343
		10	कैरी —चौका	35	175	157	134.635
		11	पांझिर	52	258	310	1683.028
	बिनेका	12	बिनेका (अंशिक)	210	1049	560	105.467
		13	डामडोंगरी(अंशिक)	47	234	363	110.374
		14	बम्हौरी (अंशिक)	44	219	270	92.769
		15	घाटखमरियां	159	796	221	114.578
			(अंशिक)				
4.44.4		16	मगरघा पिपलिया	73	363	324	194.331
		17	खपरिया खापा	145	723	418	288.461
		18	मंडवा रमपुरा	77	387	224	192.510
		19	लुलका	103	515	662	61.744
		20	बोरखाड़ी	105	527	684	160.161
		21	दांत खो	09	44	123	108.299
		22	जैतपुर	97	483	632	29.352
		23	साजौली	31	403	032	29.332
	7,7	24	नीलगढ़ (वनग्राम)	32	158	118	45.040
		25	धुनवानी (वनग्राम)	31	157	140	41.100
	दाहोद	26	करमई	108	540	370	338.121
		27	बमनई	100	340	370	330.121
		28	जावरा –मलखार	295	1477	691	62.348
		29	झिरी –बहेड़ा	183	914	639	479.720
सीहोर	देलाबाड़ी	30	देलाबाड़ी	40	186	225	26.343
		31	सुरई –ढ़ाबा	18	78	115	53.240
	-141	32	मथार (वनग्राम)	112	894	1663	220.900
14			योग	3301	18239	18299	8487.458


तालिका क्र. 2.9.11.8

्र स्त्र सन्द्रकाश्चिकाकीः

लत्य भागम

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।



大学的现在分词		nagement	SOFT CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Commence of the second	Water transport of the State	Mary areasta	n enge
80 Projects • Diverted Lands • Co	Lands • Reports •	19 To 10 To 20 To					Deliver Color
positioners in production of all and integrals and						ECOSE WHO IS RECOUNTY IN	I statistical
▶ Help			Diverted Land De	etalis			
C. P. Brander of After Sec	Project Name :	Dhunwani Yillage Relocation from Ratapani Obedullaganj	Wildlife Sanctuary, (T) Division	Project Type :	Forest village conversion		
	Total Land Diverted :		11 (41)				
Please select the location (Range) of the diverted Fore	est Land		and the same of the same of			
a control of the cont	Select Circle *	Select	· ·	Select Division *	Obedullahganj(T)		
	Select Range : *	Chilwaha	A - X - X - X - X - X - X - X - X - X -	Forest Type *	··Select ··		- many many law or
Site Name/C	ompartment Detail : *			Area of Diverted Forest land (In Hact.) *			
Location Detail	Is of the diverted land		The best of the second	141 THE RESERVE TO BE STONE TO THE RESERVE TO THE R			
Co.	pe of Diverted land : *	Block (Folygon)		No. of the Control of			
		The component of the control of the	·	Previously Diverted Area (In Hact.): (
GPS DA		Choose File No file chosen (Please upload KML/KMZ file only)		Upload Scanned copy of Map	(Please upload JPG/jpg file onl	lui.	
Diverted			an view the details in the bottom	of your screen. Facility to edit the de			
			Save Diverted Land Details	Go Back		•	
			List and Details of the pieces of Forest Lands	diverted against FCA projects			AMERICAN CASE
S.No. State	FCA Project	FCA project Year	Area Diverted (In Hac		Range	Location Details	THE RESERVE